न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 41/2019 जीसीएमएस नम्बर 2019/00027

श्रीमति उर्मिला कंवर पत्नी श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसल सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी कानोता हाउस, हल्दियों का रास्ता, जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत निवासी नारायण निवास, कानोता बाग, नारायण सिंह सर्किल तहसील व जिला जयपुर ।
2. सर्वदमन सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
3. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी कानोता हाउस हल्दियों का रास्ता जयपुर ।
4. मैसर्स श्री कृष्णा टाउनशिप एण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर रामबाबू अग्रवाल कार्यालय 601–603, अपेक्स मॉल लालकोठी टोंक रोड जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 17/01/2019 जिसके द्वारा उन्होने अनुचित एवं अवैध रूप से अपीलार्थीया द्वारा उनके समक्ष तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 188 स्वीकृत दिनांक 16/02/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 16/2018 उनवानी उर्मिला कंवर बनाम इन्द्रजीत सिंह वगैरह को संक्षिप्त बिना इस अपीलान्ट के तथ्यों को मैरिट पर निस्तारण किये बिना ही खारिज किया।

उपस्थित –

1 श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, वकील अपीलान्ट
2 श्री योगेन्द्र सिंह राजावत, वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 2 की ओर से
3 श्री भीष्म असवाल, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।
4 श्री रामचन्द्र शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।
5 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 5

अपील संख्या 42/2019 जीसीएमएस नम्बर 2019/00026

श्रीमति उर्मिला कंवर पत्नी श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसल सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी कानोता हाउस, हल्दियों का रास्ता, जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत निवासी नारायण निवास, कानोता बाग, नारायण सिंह सर्किल तहसील व जिला जयपुर ।
2. सर्वदमन सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
3. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी कानोता हाउस हल्दियों का रास्ता जयपुर ।
4. मैसर्स श्री कृष्णा टाउनशिप एण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर रामबाबू अग्रवाल कार्यालय 601–603, अपेक्स मॉल लालकोठी टोंक रोड जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

संभागीय आयुक्त
जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 17/01/2019 जिसके द्वारा उन्होने अनुचित एवं अवैध रूप से अपीलार्थीया द्वारा उनके समक्ष तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 186 स्वीकृत दिनांक 14/02/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 15/2018 उनवानी उर्मिला कंवर बनाम इन्द्रजीत सिंह वगैरह को संक्षिप्त बिना इस अपीलान्ट के तथ्यों को मैरिट पर निस्तारण किये बिना ही खारिज किया।

उपस्थित –

1 श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, वकील अपीलान्ट
2 श्री योगेन्द्र सिंह राजावत, वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 2 की ओर से
3 श्री भीष्म असवाल, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।
4 श्री रामचन्द्र शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।
5 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 5

अपील संख्या 43/2019 जीसीएमएस नम्बर 2019/00025

श्रीमति उर्मिला कंवर पत्नी श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसल सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी कानोता हाउस, हल्दियों का रास्ता, जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत निवासी नारायण निवास, कानोता बाग, नारायण सिंह सर्किल तहसील व जिला जयपुर ।
2. सर्वदमन सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
3. रणंजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी कानोता हाउस हल्दियों का रास्ता जयपुर ।
4. मैसर्स श्री कृष्णा टाउनशिप एण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर रामबाबू अग्रवाल कार्यालय 601–603, अपेक्स मॉल लालकोठी टोंक रोड जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 17/01/2019 जिसके द्वारा उन्होने अनुचित एवं अवैध रूप से अपीलार्थीया द्वारा उनके समक्ष तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 185 स्वीकृत दिनांक 14/02/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 14/2018 उनवानी उर्मिला कंवर बनाम इन्द्रजीत सिंह वगैरह को संक्षिप्त बिना इस अपीलान्ट के तथ्यों को मैरिट पर निस्तारण किये बिना ही खारिज किया।

उपस्थित –

1 श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, वकील अपीलान्ट
2 श्री योगेन्द्र सिंह राजावत, वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 2 की ओर से
3 श्री भीष्म असवाल, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।
4 श्री रामचन्द्र शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।
5 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 5

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील संख्या 44/2019 जीसीएमएस नम्बर 2019/00032

श्रीमति उर्मिला कंवर पत्नी श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी कानोता हाउस, हल्दियों का रास्ता, जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत निवासी नारायण निवास, कानोता बाग, नारायण सिंह सर्किल तहसील व जिला जयपुर ।
2. सर्वदमन सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
3. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी कानोता हाउस हल्दियों का रास्ता जयपुर ।
4. मैसर्स श्री कृष्णा टाउनशिप एण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर रामबाबू अग्रवाल कार्यालय 601–603, अपेक्स मॉल लालकोठी टोंक रोड जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्टस्

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 17/01/2019 जिसके द्वारा उन्होने अनुचित एवं अवैध रूप से अपीलार्थीया द्वारा उनके समक्ष तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 37 स्वीकृत दिनांक 08/10/1997 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 31/2018 को संक्षिप्त ही खारिज किया।

उपस्थित –

1 श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, वकील अपीलान्ट
2 श्री योगेन्द्र सिंह राजावत, वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 2 की ओर से
3 श्री भीष्म असवाल, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।
4 श्री रामचन्द्र शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।
5 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 5

अपील संख्या 45/2019 जीसीएमएस नम्बर 2019/00031

श्रीमति उर्मिला कंवर पत्नी श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसल सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी कानोता हाउस, हल्दियों का रास्ता, जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत निवासी नारायण निवास, कानोता बाग, नारायण सिंह सर्किल तहसील व जिला जयपुर ।
2. सर्वदमन सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
3. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी कानोता हाउस हल्दियों का रास्ता जयपुर ।
4. मैसर्स श्री कृष्णा टाउनशिप एण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर रामबाबू अग्रवाल कार्यालय 601–603, अपेक्स मॉल लालकोठी टोंक रोड जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

रेस्पोडेन्टस्

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 17/01/2019 जिसके द्वारा उन्होने अनुचित एवं अवैध रूप से अपीलार्थीया द्वारा उनके समक्ष तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 189 स्वीकृत दिनांक 16/02/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 17/2018 उनवानी उर्मिला कंवर बनाम इन्द्रजीत सिंह वगैरह को संक्षिप्त बिना इस अपीलान्ट के तथ्यों को मैरिट पर निस्तारण किये बिना ही खारिज किया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित –

1 श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, वकील अपीलान्ट
2 श्री योगेन्द्र सिंह राजावत, वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 2 की ओर से
3 श्री भीष्म असवाल, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।
4 श्री रामचन्द्र शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।
5 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 5

अपील संख्या 46/2019 जीसीएमएस नम्बर 2019/00030

श्रीमति उर्मिला कंवर पत्नी श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर हाल निवासी कानोता हाउस, हल्दियों का रास्ता, जयपुर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. इन्द्रजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत निवासी नारायण निवास, कानोता बाग, नारायण सिंह सर्किल तहसील व जिला जयपुर ।
2. सर्वदमन सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी खोरी रोपाडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
3. रणजीत सिंह पुत्र स्व0 श्री जतन सिंह राजपूत जाति राजपूत निवासी कानोता हाउस हल्दियों का रास्ता जयपुर ।
4. मैसर्स श्री कृष्णा टाउनशिप एण्ड डवलपर्स जरिये पार्टनर रामबाबू अग्रवाल कार्यालय 601–603, अपेक्स मॉल लालकोठी टोंक रोड जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

–रेस्पोडेन्ट्स

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 17/01/2019 जिसके द्वारा उन्होने अनुचित एवं अवैध रूप से अपीलार्थीया द्वारा उनके समक्ष तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 190 स्वीकृत दिनांक 16/02/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील संख्या 18/2018 उनवानी उर्मिला कंवर बनाम इन्द्रजीत सिंह वगैरह को संक्षिप्त बिना इस अपीलान्ट के तथ्यों को मैरिट पर निस्तारण किये बिना ही खारिज किया।

उपस्थित –

1 श्री हनुमान प्रसाद चौधरी, वकील अपीलान्ट
2 श्री योगेन्द्र सिंह राजावत, वकील रेस्पोंडेन्ट नं. 2 की ओर से
3 श्री भी म असवाल, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 3 की ओर से।
4 श्री रामचन्द्र शर्मा, वकील रेस्पोडेन्ट नं. 4 की ओर से।
5 श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 5

निर्णय

दिनांक –28.02.2024

1. यह छः अपीलें राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के निर्णय दिनांक 17.01.2018 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है.। छः प्रकरणों के तथ्य, विषयवस्तु, पक्षकार एवं निर्णय किये जाने वाले बिन्दु समान होने के कारण इन छः प्रकरणों का निर्णय एक ही आदेश के द्वारा किया जा रहा है ।
2. प्रकरणों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार सांगानेर के निर्णय दिनांक 14.02.2018 द्वारा नामान्तकरकरण संख्या 185, 186 एवं निर्णय दिनांक 16.02.2018 जिससे अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 188, 189, 190 तस्दीक किये गये एवं एक अपील बाबत तहसीलदार सांगानेर के निर्णय दिनांक 08.01.1997 जिसके द्वारा नामान्तरकरण संख्या 37 ग्राम खोरी रोपाडा, तहसील सांगानेर का रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में मृतक तोप कंवर के 1/4 हिस्से की भूमि को दर्ज करते हुए स्वीकार किये जाने से असंतुष्ट होकर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम जयपुर के अपील की गयी। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2019 द्वारा अपील खारिज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम जयपुर के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2019 से व्यथित होकर उर्मिला कंवर अपीलान्ट्स द्वारा यह पृथक पृथक छः अपीलें प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम जयपुर दिनांक 17.01.2019 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

4. अपीलें प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई ।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम खोरी रोपाडा, पटवार हल्का लूनियावास, तहसील सांगानेर जिला जयपुर स्थित कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 288 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 289 रकबा 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 292 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 402 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 404 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 405 रकबा 0.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 406 रकबा 0.35 हैक्टेयर खसरा नम्बर 407 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 409 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 410 रकबा 0.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 411 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 412 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 413 रकबा 0.18 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 414 रकबा 0.72 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 415 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 416 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 417 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 418 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 419 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 420 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 421 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 422 रकबा 0.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 423 रकबा 0.86 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 425 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 426 रकबा 0.11. हैक्टेयर, खसरा नम्बर 427 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 428 रकबा 0.52 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 429 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 430 रकबा 0.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 431 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 432 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 433 रकबा 0.39 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 434 रकबा 0.34 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 435 रकबा 0.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 436 रकबा 0.91 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 437 रकबा 2.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 452 रकबा 1.79 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 453 रकबा 2.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 424 रकबा 0.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 455 रकबा 0.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 456 रकबा 1.46 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 457 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 458 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469 रकबा 1.27 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 460 रकबा 0.35 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 461 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 462 रकबा 0.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 463 रकबा 0.95 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 464 रकबा 1.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465 रकबा 1.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 465/ 642 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 466 रकबा 0. 49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 467 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 468 रकबा 0.22 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 469 रकबा 0.74 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 470 रकबा 2.61 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 471 रकबा 0.93 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 471 /643 रकबा 0.17 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 427 रकबा 1. 89 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 473 रकबा 1.24 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 474 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 475 रकबा 1.55 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 476 रकबा 1.11 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 477 रकबा 0.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 478 रकबा 0.63 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 480/644 रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 510 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 515 रकबा 1.66 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 516 रकबा 1.26 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 705 / 501 रकबा

संभागीय आयुक्त
जयपुर

0.74 हैक्टेयर कुल किता 74 कुल रकबा 74.12 हैक्टेयर का मूल खातेदार पक्षकारान् के पूर्वज स्वर्गीय ठाकुर जतन सिंह जी थे जिनका सन् 1986 में (24.05.1986) स्वर्गवास हो गया। यह कि ठाकुर जतन सिंह जी की मृत्यु के पश्चात् उनकी उपरोक्त वर्णित आराजीयात का नामान्तकरण उनके तीनों पुत्रों व उनकी पत्नी तोपकंवर के नाम स्वीकृत हो गया तथा वे 1/4–1/4 हिस्से के खातेदार दर्ज रिकार्ड हो गये। तोप कंवर की मृत्यु के पश्चात (तोप कंवर की मृत्यु 09.09.1997) तोप कंवर के हिस्से का विरासत का नामान्तकरण संख्या 37 दिनांक 08.10.1997 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा केवल इन्द्रजीत सिंह, सर्वदमन सिंह व रणजीत सिंह के नाम ही स्वीकृत किया गया जबकि अपीलार्थीया के नाम नही किया। नामान्तकरण संख्या 37 की जानकारी होने पर अपीलार्थीया ने अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर के समक्ष अपील संख्या 176/1997 उनवानी उर्मिला कंवर बनाम इन्द्रजीत सिंह वगैरह प्रस्तुत की जिसे अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 19/02/1999 द्वारा अपील को मियाद बाहर प्रस्तुत होना मानते हुये खारिज कर दी तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि वसीयत के आधार पर यदि अपीलार्थीया वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई अधिकार चाहती हैं तो वह सक्षम न्यायालय के द्वारा प्राप्त करें। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19/02/1999 के विरूद्ध अपीलार्थीया ने संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 46/1999 पेश की जिसे भी संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 17/08/1999 द्वारा खारिज कर दिया। इसके पश्चात अपीलार्थीया ने स्व. तोप कंवर द्वारा दिनांक 04/08/1994 को अपीलार्थीया के पक्ष में की गई पंजीकृत वसीयत का प्रोबेट लेने हेतु सक्षम न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम 10 जयपुर महानगर जयपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र उनवानी उर्मिलां कंवर बनाम इन्द्रजीत सिंह 14/10/1999 को पेश किया जिसे रेस्पोडेन्ट द्वारा विरोध करने पर जिला एवं सैशन न्यायाधीश जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 06/11/2001 द्वारा प्रोबेट प्रार्थना पत्र को दीवानी दावे के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया एवं प्रार्थन पत्र को दावे के रूप में निर्णित किया गया तथा अपर जिला एवं सैशन न्यायालय क्रम 10 जयपुर महानगर जयपुर अपने निर्णय दिनांक 17/02/2018 द्वारा अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रोबेट प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्राबेट जारी किये जाने का निर्णय पारित किया गया जिसकी सूचना अपीलार्थीया ने तुरन्त ही दिनांक 18/02/2018 को ही तहसीलदार सांगानेर को दे दी थी तथा मृतका तोप कंवर के 1/4 हिस्से की भूमि का नामान्तकरण अपीलार्थीया के नाम स्वीकृत करने का लिखित व मौखिक रूप से निवेदन किया किन्तु तहसीलदार सांगानेर द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 से मिलकर पिछली दिनांक में बिना अपीलार्थीया को सुने अपना पक्ष प्रस्तुत करने का काई अवसर दिये बिना ही नामान्तकरण जैर बहस स्वीकृत कर दिया। निर्णय हरदो सुयोग्य परीक्षण न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम जयपुर दिनांक 17/1/2019 व तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण संख्या 190 पर पारित आदेश दिनांक 16/02/2018 पूर्णतया विधि विधान पत्रावली तथा तथ्यों के विपरीत है एवं निरस्तनीय हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर कतई कोई ध्यान नही दिया कि तहसीलदार सांगानेर ने नामान्तकरण जैर बहस स्वीकृत करने से पूर्व अपीलार्थीया को किसी भी प्रकार का नोटिस नही दिया तथा अपीलार्थीया को सुनवाई का अपना पक्ष प्रस्तुत करने का सहज एवं सामान्य सिद्धान्तों की ओर उपेक्षा नामान्तकरण जैर बहस स्वीकार किया है जो निरस्तनीय हैं। सुयोग्य प्रथम अपील न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत की गई प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर किसी भी प्रकार का कोई अपना निर्णय/आदेश पारित नही किया जबकि प्रथम अपील न्यायालय को प्रकरण अपील का गुणावगुण पर निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र पर अपना निर्णय पारित करना चाहिए था किन्तु ऐसा ना कर अपील को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में प्रथम

संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपील न्यायालय ने गंभीर भूल की हैं । प्रथम अपील में वर्णित समस्त तथ्यों को इस द्वितीय अपील का एक अभिन्न अंग समझा जाकर प्रथम अपील में वर्णित समस्त तथ्यों को इस द्वितीय अपील के समर्थन में पढा जावें । सुयोग्य प्रथम अपील न्यायालय ने अपीलार्थीया द्वारा उनके समक्ष नामानतकरण संख्या 190 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई प्रथम अपील को महज केवल मात्र इस आधार पर खारिज की है कि इस निर्णय (तहसीलदार सांगानेर) द्वारा नामान्तकरण संख्या 190 पर पारित आदेश दिनांक 16/02/2018 के विरूद्ध अपील की कार्यवाही अपीलान्ट द्वारा किये जाने का कोई तथ्य नही है जिस प्रोबेट दिनांक 17/02/2018 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 190 को पुनः चुनौती दी है उसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट प्रस्तुत की जा चुकी जा चुकी हैं। चूँकि नामान्तकरण संख्या 190 निर्णित दिनांक 16/02/2018 के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्णित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में उसी नामान्तकरण को पुनः अपील इस न्यायालय द्वारा नही सुनी जा सकती। प्रथम अपील न्यायालय को उक्त सोच (फाईण्डिग) पूर्णतया विधि विरूद्ध है क्योंकि प्रथम तो अपील को मात्र मियाद के बिन्दू पर ही खारिज की गई थी पर नामान्तकरण संख्या 190 दिनांक 16/02/2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपील को गुणावगुण पर खारिज नही किया गया। द्वितीय अपीलार्थीया ने उसके पक्ष में प्रोबेट होने के पश्चात अपीलार्थीया को नया वाद हेतुक वादकारण) उत्पन्न होने व बदली हुई परिस्थितियों में अपीलार्थीया नामान्तकरण संख्या 190 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है किन्तु इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू पर कतई कोई ध्यान न देकर निर्णय जैर अपील पारित करने में सुयोग्य प्रथम अपील न्यायालय ने गंभीर भूल की हैं । सुयोग्य प्रथम अपील न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर कतई कोई ध्यान नही दिया कि स्व. तोपकंवर द्वारा दिनांक 04/08/1994 को अपीलार्थीया के पक्ष में की गई रजिस्टर्ड वसीयत अन्तिम वसीयत है एवं उक्त दिनांकित रजिस्टर्ड वसीयत का आज दिनांक तक अनचैलेन्जड हैं। सुयोग्य तहसीलदार सांगानेर ने नामान्तकरण जैर बहस स्वीकृत करने से पूर्व नामान्तकरण तस्दीक विषय संबंधी किसी एक भी नियम की कतई पालना नही की तथा प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर भी कतई कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने भूमि वादग्रस्त में अपने निहित हिस्से का तो रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को विक्रय कर दिया इस कारण अब उनका भूमि वादग्रस्त में किसी भी प्रकार का कोई हित शेष नही रहा हैं, ना ही कब्जे की किसी भी प्रकार की कोई जांच ही की मात्र यह लिखकर कि " मुताबिक पटवारी व आई.एल.आर. नामान्तकरण जैर बहस स्वीकार किया है जो निरस्तनीय हैं। पक्षकारान् के अभिकथनो से एवं स्वयं प्रथम अपीलीय न्यायालय की फाईण्डिग से यह बखूबी साबित है कि पक्षकारान् के मध्य भूमि वादग्रस्त के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में एवं यहां तक कि मान्य राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष भी भूमि वादग्रस्त के संबंध में रिट लम्बित हैं। जिसमें तहसीलदार स्वयं पक्षकार हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम अपील न्यायालय को सक्षम न्यायालयों से प्रकरण का अन्तिम रूप से निपटारा होने तक नामान्तकरण को निरस्त कर देना चाहिए था किन्तु ऐसा ना कर अपीलार्थीया की बहस पर किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख उसकी व्याख्या एवं बहस पर किसी प्रकार की अपनी कोई फाईण्डिग दिये बिना निर्णय जैर अपील पारित करने में सुयोग्य प्रथम अपील न्यायालय ने गंभीर कानूनी भूल की हैं। अपीलार्थीया द्वारा सुयोग्य प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष नामान्तकरण अपील संख्या 14/18 बाबत् नामान्तकरण संख्या 185, अपील संख्या 15/2018 बाबत् नामान्तकरण संख्या 190 अपील संख्या 16/18 बांबत् नामान्तकरण संख्या 189 अपील संख्या 17/18 बाबत् नामान्तकरण संख्या 186 तथा अपील संख्या 18/18 बाबत् नामान्तकरण संख्या 188 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई अपीलो की संक्षिप्त ही मात्र एक लाई है कि यह लिख कर कि चूँकि नामान्तकरण संख्या 190 निर्णित दिनांक 16/02/2018 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में स्वीकार योग्य नही हैं । अतः उपरोक्त वर्णित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

नम्बरी पांचो अपीले गुणावगुण पर विचार किये ही खारिज की जाती है" लिखकर उपरोक्त वर्णित नम्बरी पांचो अपीले 14/2018, 15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018 उनवानी उर्मिल कंवर बनाम इन्द्रजीत सिंह वगैरह पेश की जिन्हें प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इकजाई (कन्सोलिडेट) कर दिनांक 17.01.2019 को इकजाई निर्णय कर दिया। मात्र इस आधार पर खारिज करने में प्रथम अपील न्यायालय ने गम्भीर कानूनी भूल की प्रथम अपील न्यायालय को प्रथम अपील में वर्णित तथ्यों एवं अभिभाषक की बहस पर ध्यान देकर पत्रावली का अवलोकन कर गुणावगुणों पर अपना निर्णय पारित करना चाहिए था जो उनके द्वारा नही किया गया । अतः निर्णय जैर अपील निरस्तनीय हैं। जबकि बहस के आधारों पर पांचो अपीलों का पृथक पृथक निर्णय करना चाहिए था। तहसीलदार सांगानेर द्वारा नामान्तकरण जैर बहस तथाकथित विक्रय पत्रों दिनांक 07.07.2006, 16.07.2006, 18.04.007, 16.06.2007, व 23.08.2007 के आधार पर अत्याधिक विलम्ब करीब 11–12 साल के बाद बिना किसी ठोस कारण के स्वीकार किये है जो तहसीलदार सांगानेर की नियत पर सन्देह उत्पन्न करता है तथाकथित विक्रय पत्र पंजीबद्ध होते ही नामान्तकरण क्यो नही तस्दीक कराये गये इतने अत्याधिक लम्बे समय बाद नामान्तकरण जैर बहस क्यो तस्दीक वास्ते पेश किये गये है, विलम्ब का क्या कारण रहा सब कुछ आंखो से ओझल कर एवं रेस्पोडेन्ट से सांठ गांठ कर तहसीलदार सांगानेर ने नामान्तकरण जैर बहस संख्या 185, 186, 188, 189, 190 स्वीकृत किये है । इस संबंध में अभिभाषक अपीलार्थीया ने प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष अपील बहस में बहस के मुद्दे उठाये थे जिसका जवाब ना तो रेस्पोडेन्ट अपनी बहस में दे सके एवं ना ही प्रथम अपील न्यायालय ने भी इस संबंध में अपनी किसी प्रकार की कोई फाईडिंग ही दी । नामान्तकरण जैर बहस स्वीकार करने के काफी अर्से से पूर्व ही भूमि वादग्रस्त के संबंध में अपीलार्थीयां एवं रेस्पाडेन्ट के मध्य विभिन्न अदालतो में दीवानी एवं राजस्व वाद लम्बित हैं। जिसमें तहसीलदार सांगानेर स्वयं पक्षकार थे एवं उन्हें भूमि वादग्रस्त के संबध में पक्षकारान् के मध्य विवाद लम्बित होने की पूर्ण रूपेण जानकारी थी, इतना ही नही दिनांक 20/9/2006 को ही अपीलार्थी ने तहसीलदार सांगानेर को भूमि वादग्रस्त के संबंध में लम्बित प्रकरणों की सूची मय दस्तावेजात के तहसीलदार सांगानेर को दे दिये थे भूमि वादग्रस्त के संबंध में तो लम्बित की कार्यवाही तो दिनांक दीवानी न्यायालय में प्रोबेट लम्बित 14/10/1999 से ही विचाराधीन चली आ रही थी जिसकी जानकारी रेस्पोडेन्ट को बखूबी थी तथा प्रोबेट प्रकरण में रेस्पोडेट स्वयं पक्षकार थे, इतना सब कुछ होते हुये भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 ने धारा 52 हस्तान्तरण अधिनियम का उल्लघंन करते हुये दौराने लिटिगेशन रेस्पोडेन्ट संख्या 4 को भूमि का विक्रय किया है जिससे क्रेता को किसी भी प्रकार के कोई वैध हक अधिकार प्राप्त नही होते है। प्रार्थी ने यह समस्त तथ्य अपनी प्रथम अपील में दर्ज किये थे एवं बहस में भी मौखिक रूप से यह बिन्दू प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष बहस के समय उठाये थे जिनका कतई कोई ध्यान ना देकर एवं विचार ना करके एक नॉन स्पीकिंग व अनरिजन्ड निर्णय जैर अपील पारित किया है जो निरस्तीय हैं। यह कि अन्य बाते वरवक्त बहस जुबानी अर्ज की जावेगी । अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन हे कि अपील अपीलार्थीया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2019 एवं तहसीलदार सांगानेर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.02.2018 द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 185, 186, 188 एवं निर्णय दिनांक 16.02.2018 द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण संख्या 189, 190 निरस्त फरमाये जाने एवं प्रोबेट के आधार पर अपीलांट के नाम श्रीमति तोप कंवर द्वारा की गयी पंजीकृत वसीयत के आधार पर श्रीमति तोप कंवर के 1/4 हिस्से का नामान्तरकरण संख्या 37 आदेश दिनांक 08.10.1997 निरस्त कर अपीलान्ट के नाम स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करें।

6. रेस्पोंडेन्ट्स नं 1 के योग्य अधिवक्ता ने बहस प्रस्तुत करते हुये बहस में मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 37 विरासत के आधार पर

संभागीय आयुक्त
जयपुर

स्वीकार किया गया है एवं अन्य अपीलाधीन पांचो नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर स्वीकार किया गये है, इसमें कोई गलती अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है। अपीलाधीन नामान्तकरण 37 निर्णित दिनांक 08.10.1997 के विरूद्व पूर्व में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 19.02.1999 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज की जा चुकी है। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण के विरूद्व अपील आदेश दिनांक 17.08.1999 खारिज की जा चुकी है। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट ने यह भी दलील दी कि अपीलाधीन नामान्तरकरण जिस दिन स्वीकार किया है, उस दिन किसी न्यायालय का स्थगन आदि भी विवादित भूमि पर नहीं था । अपील अपीलांट ने ऐसा कोई साक्ष्य दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे उक्त विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा या अधिकार स्पष्ट हो। नामान्तरकरण जैसी फिसकल प्रोसीडिंग्स में किसी के हक व अधिकार सुनिश्चित नहीं किये जा सकते है। अपील अपीलांट सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज की जावे ।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या संख्या 2 ने अपनी लिखित बहस में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट न तो वादग्रस्त आराजी की खातेदार है न ही पूर्व में कभी उसके नाम से खातेदारी रही है। अपीलांट जिस वसीयत के आधार पर उक्त वादग्रस्त आराजी को क्लेम कर रही है वह स्वयं तोफ कंवर द्वारा दिनांक 03.02.1995 की अपनी दूसरी वसीयत द्वारा निरस्त कर दी गई है। अपीलांट जिस प्रोबेट प्रोसिडिंग्स के निर्णय दिनांक 17.02.2018 के आधार पर अपील के नामान्तकरण को चुनौती देकर निरस्त करवा कर स्वयं के नाम नमान्तकरण खुलवाना चाहती है उस निर्णय के विरूद्व रेस्पो० संख्या 2 द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील पेश कर चुनौती दे दी है। अपीलांट को उक्त भूमि के विक्रय पत्रों के निष्पादन की प्रोबेट प्रोसिडिंग्स के समय से ही जानकारी थी व उसके आधार पर खुले नामान्तकरण की भी उसके खुलने के दिनांक से जानकारी थी । अपीलाधीन पांचो नामान्तकरण रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर खोले गये है माननीय न्यायालय में प्रस्तुत अपीले विधिक रूप से मैन्टेनेबिल नहीं है। जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज मौजूद है उसके आधार पर खुले नामान्तकरण को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस संबंध में आर. आर. टी. 2010 (2) पेज 1446 व आर. आर. डी. 2003 पेज 276 के न्यायिक दृष्टान अनुसार राजस्व मंडल द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के आधार पर खुले नामान्तकरण को चुनौती देने से माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन उक्त विक्रय पत्रो को विबन्धित किया गया है । सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र वैध व प्रभावी है व उनके आधार पर खुले नामान्तकरण को विकय पत्र के निरस्त हुये बिना निरस्त नहीं किया जा सकता है । अपीलाधीन आराजी के संबंध में अपीलांट व रेस्पा के मध्य सिविल व राजस्व वाद न्यायालयों में विचाराधीन है।

8. रेस्पाडेन्ट संख्या 4 ने अधिवक्ता रेस्पा० संख्या 1 व 2 के कथनो पर सहमति प्रदान करते हुए कथन किया कि नामान्तकरण का मुख्य उद्देश्य भूमि पर काबिज व्यक्ति से लगान का संग्रहण करना है वह अपीलांट के पक्ष में खोले जाने का कोई न्यायिक आधार नहीं है। अपीलाधीन नामान्तकरण 37 की भूमि में से रेस्पाडेन्ट संख्या 4 द्वारा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र कय की गई है। रेस्पा० संख्या 4 सद्भावी केता खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर रेस्पा० संख्या 4 का कब्जा है। यदि अपीलांट वादग्रस्त आराजी में अपना अधिकार जताना चाहती है तो उन्हें उक्त निष्पादित विक्रय पत्रों के विरूद्व सक्षम न्यायालय में नियमित वाद दायर करना चाहिए। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा चुनौतिधीन निर्णय दिनांक 17.01.2019 पारित किये जाने के बाद पक्षकारान में समझाईस हुई व पक्षकारान में आपसी सहमति से दिनांक 20.03.2019 को मेमोरेण्डम ऑफ अण्डरस्टेंडिंग (M.O.U.) निष्पादित हुआ। इस (M.O.U.) में हाल अपीलांट उर्मिला कंवर व उसके पति रणजीतसिंह ने यह स्वीकार किया कि वे तोफकंवर की तथाकथित

संभागीय आयुक्त
जयपुर

वसीयत दिनांक 4.8.1994 व उसके प्रति जारी की गई प्रोबेट दिनांक 17.2.2018 के आधार पर वादग्रस्त भूमि में कोई क्लेम नहीं करेंगे व वादग्रस्त भूमि जो कि जतनसिंह जी के तीनों पुत्रों इन्द्रजीत सिंह, रणजीत सिंह व सर्वदमनसिंह के नाम जरिये नामान्तरकरण संख या 37 दिनांक 8.10.1997 के द्वारा 1/3–1/3 हिस्से में दर्ज की गई है उसे सही होना स्वीकार करते हैं। इस (M.O.U.) के बाद पक्षकारान ने आपसी सहमति से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवा लिया व तीनों भाईयों के खाते अलग–अलग हो गये। इन्द्रजीतसिंह जी के हिस्से की जो भूमि हाल रेसपोडेन्ट संख्या 4 ने क्रय की थी। वह उसके नाम से विभाजन में दर्ज हो गई। इस प्रकार दिनांक 20.3.2019 के (M.O.U.) के बाद हाल अपीलांट को उक्त वसीयत व प्रोबेट के आधार पर कार्यवाही करने का कोई आधार शेष नहीं बचा है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे । अपीलाधीन नामान्तकरण नियमानुसार खोले गये है जिसमें कोई त्रुटि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं की गई है, अपील अपीलांट सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जावे।

9. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. नं. 5 ने कथन किया किया अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सांगानेर एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम ने विधिक प्रकिया अनुसार आदेश पारित किये गये हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2019 अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

10. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में मुख्यतः विवाद खातेदार तोप कंवर की वसीयत को लेकर है। तोप कंवर की मृत्यु दिनांक 09.09.1997 को होने पर तोप कंवर के हिस्से का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 08.10.1997 को तहसीलदार सांगानेर द्वारा इन्द्रजीत सिंह, सर्वदमन सिंह व रणजीत सिंह के नाम स्वीकृत किया गया था। जिसके विरूद्ध अपील न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम में पेश की गयी अपील संख्या 176/97 बउनवानी उर्मिला बनाम इन्द्रजीत सिंह में न्यायालय द्वारा पक्षकारान के हित के संबंध में सक्षम न्यायालय में कार्यवाही होने के किये जाने एवं मियाद बाहर होने के आधार पर प्रस्तुत अपील दिनांक 19.02.1999 को खारिज की गई। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में होने पर अपील संख्या 46/1999 बउनवानी श्रीमती उर्मिला कंवर बनाम इन्द्रजीत सिंह निर्णय दिनांक 17.10.1999 द्वारा खारिज की गई। इस निर्णय के विरूद्ध अपील की कार्यवाही वर्तमान अपीलांट द्वारा किये जाने का कोई तथ्य नहीं है। जिस प्रोबेट दिनांक 17.12.2018 के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण 37 को पुनः चुनौती दी है उसके विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जा चुकी है। चूंकि नामान्तरकरण संख्या 37 निर्णित दिनांक 08.10.1997 के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा पूर्व में ही निर्णित की गई थी तथा उसकी अपील खारिज हो चुकी है, ऐसी स्थिति में उसी नामान्तरकरण की पुनः अपील इस न्यायालय द्वारा नहीं सुनी जा सकती। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 44/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00032) बउनवानी उर्मिला बनाम इन्द्रजीत सिंह नामान्तरकरण संख्या 37 दिनांक 18.10.1997 इस न्यायालय में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील संख्या 44/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00032) विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के निर्णय दिनांक 17.01.2019 नामान्तरकरण संख्या 37 अस्वीकार की जाती है तथा नामान्तरकरण संख्या 37 निर्णित दिनांक 08.10.1997 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील संख्या 41/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00027) विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के निर्णय दिनांक 17.01.2019 नामान्तरकरण संख्या 188 निर्णित दिनांक 16.02.2018 , अपील संख्या 42/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00026) विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के निर्णय दिनांक 17.01.2019 बाबत नामान्तरकरण संख्या 186 निर्णित दिनांक 14.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

02.2018, अपील संख्या 43/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00025) विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के निर्णय दिनांक 17.01.2019 बाबत नामान्तरकरण संख्या 185 निर्णित दिनांक 14.02.2018, अपील संख्या 45/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00031) विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के निर्णय दिनांक 17.01.2019 बाबत नामान्तरकरण संख्या 189 निर्णित दिनांक 16.02.2018, अपील संख्या 46/2019 (जीसीएमएस नम्बर 2019/00030) विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम के निर्णय दिनांक 17.10.2019 बाबत नामान्तरकरण संख्या 190, निर्णित दिनांक 16.02.2018 जो कि उपरोक्त संदर्भित नामान्तरकरण में दर्ज खातेदारों द्वारा किये गये विक्रय पत्रों के आधार पर तस्दीक किये गये हैं, उनके विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को न्यायालय नामान्तरकरण संख्या 37 की अपील स्वीकार नहीं होने की स्थिति में गुणावगुण पर विचार किये बिना ही स्वीकार योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 17.01.2019 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

अतः आदेश है कि– अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 17.01.2019 को जारी (छः निर्णय) यथावत रखे जाते हैं।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त
जयपुर।